कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर–जयपुर)
बसेड़ी: धौलपुर (राज.) पिन– 328027

Azadi Ka Amrit Mahotsav

डॉ. जुनैद अख्तर
अधिष्ठाता

मों: 9414467446
Email.:- dean.coabaseri@sknau.ac.in

कमांक: कृमविबसेड़ी / संस्था. / 2025 / 257 दिनांक: 31-05-2025

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर, के वित्तीय वर्ष 2025–26 (जुलाई 2025 से मार्च 2026) में निम्न कार्यो की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं / फर्मो / सेवाप्रदाता संस्थाओं / कृषकों जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाईसेन्स हो, निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 11.06.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक सीलबन्द निविदाऐं द्वि–विड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित की ज़ाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500 /– ड़ीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर, के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंक चैक या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 11.06.2025 प्रात 10.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकतें हैं। प्राप्त निविदाऐ उसी दिन अपराह्न 11.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर, की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू)	2 प्रतिशत धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदाप्रपत्र, प्राप्ति की अन्तिम तिथि, समय व स्थान	निविदा प्रपत्र खोलने की अन्तिम तिथि, समय व स्थान
1.	कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर, में ऑफिस कार्य, प्रयोगशाला कार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चौकीदारी, साफ–सफाई, कृषि कार्य, उद्यानिकी कार्य एवं अन्य कार्य हेतु उच्च कुशल, कुशल, अर्ध्दकुशल, व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु।	980000	19600	500/-	11.06.2025, प्रातः 10:30 बजे तक, कार्यालय कृषि महाविद्यालय बसेड़ी	11.06.2025, प्रातः 11:30 बजे, कार्यालय कृषि महाविद्यालय बसेड़ी

अधिष्ठाता

कमांक:कृमविबसेड़ी / संस्था. / 2025 / 257 दिनांक: 31-05-2025

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि अपना मनोनीत सदस्य दिनांक 11.06.2025 को भिजवाने का श्रम करें ।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. प्रभारी,सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनंर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना सुनिष्चित करें।
5. सदस्य कमेटी –
6. लेखा शाखा– कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर
7. आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा को राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर / राष्ट्रदूत के धौलपुर परिषिष्ठ में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करने बाबत।
8. नोटिस बोर्ड कृषि महाविद्यालय– बसेड़ी / उपखण्ड कार्यालय– बसेड़ी / तहसील कार्यालय – बसेड़ी / पंचायत समिति– बसेड़ी।
9. रक्षित पत्रावली।

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर–जयपुर)

बसेड़ीः धौलपुर (राज.) पिन– 328027

डॉ. जुनैद अख्तर
अधिष्ठाता

मों: 9414467446

Email.:- dean.coabaseri@sknau.ac.in

क्रमांकःकृमविबसेड़ी / संस्था. / 2025 / 257 दिनांकः 31-05-2025

श्रमिक आपुर्ति

तकनीकी निविदा प्रपत्र–1

निविदाता फर्म का नाम व पता मय दूरभाष :– ....

....

....

1. जी.एस.टी. नं. (छाया प्रति संलग्न करें) ....

2. PAN No. --- (Photo Copy)

3. Registration of GST, ESI & EPF (Photo Copy)

4. Registration of Labour Department (Photo Copy)

5. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

6. शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।

7. सफल निविदादाता को रूपये 500 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा तथा कार्य सम्पादन राशि 5 प्रतिशत (रू.) (धरोहर राशि रू. 2% को समायोजित करते हुए) अनुबंध पत्र लिखने से पहले डी.डी. के रूप में देना होगा।

8. निविदा सीलबंद लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।

9. श्रमिको को कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर में ऑफिस कार्य, प्रयोगषाला कार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टोर, चौकीदारी, साफ–सफाई, एवं अन्य कार्य हेतु उच्च कुशल, कुशल, अर्ध्दकुशल, व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु लगाया जा सकता है।

10. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात् कोष–कार्यालय जोबनेर से बिल पास होने के बाद ऑनलाईन किया जावेगा।

11. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

12. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

13. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।

नोटः निविदा के साथ दिए हुए सारे प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें ।

हस्ताक्षर निविदादाता

डॉ. जुनैद अख्तर
अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर–जयपुर)
बसेड़ी: धौलपुर (राज.) पिन– 328027
मों: 9414467446
Email.:- dean.coabaseri@sknau.ac.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकःकृमविबसेड़ी / संस्था. / 2025 / 257 दिनांकः 31-05-2025

निविदा प्रपत्र

(लिफाफा नं. 1 में रखे)

कृषि महाविद्यालय पर विभिन्न कार्यो के लिए उच्च कुशल, कुशल, अर्ध्दकुशल, व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

क्र. सं. कार्य का विवरण

1 .... के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है।)
2 निविदा प्रस्तुत करनें वाले का नाम व पता ....
3 नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी हैः डीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर।
4 निविदा संदर्भः– कृमविबसेड़ी / संस्था. / 2025 / दिनांकः 11.06.2025
5 बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार के नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है
6 हम निविदा सूचना संख्या कृमविबसेड़ी / संस्था. / 2025 / दिनांकः 11.06.2025 की शर्तो से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्ते मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमनें हस्ताक्षर कर दिये है।
7 निविदा प्राप्त करने का समयः– कार्यालय कार्य दिवस में (11.06.2025 से 11.06.2025 प्रातः 10 बजे तक)
8 निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समयः– दिनांक 11.06.2025 को प्रात 10.30 बजे
9 निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथिः– दिनांक 11.06.2025 को प्रात 11.00 बजे
10 निविदा खोलने की तिथिः– 11.06.2025 को 11.30 बजे
11 निविदा खोलने का स्थानः– कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर।
12 पत्र व्यवहार हेतु पताः– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर (राजस्थान) 328027
13 फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूची में नही है(प्रपत्र–स) । एवं Fall clause प्रमाण पत्र(प्रपत्र–द)
14 वित्तीय विवरण (प्रपत्र–र) सी. ए. द्वारा UDIN से प्रमाणित
15 दरें प्रपत्र–2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा ।

1. बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है।
(संलग्न लिफाफा नं.1 में रखें)

क. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970) यदि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से अनुबन्ध है अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करें।				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5	आयकर (पेन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

निविदा हेतु शर्तें

<u>परिशिष्ट संख्या –1</u>
<u>प्रपत्र – ''ब''</u>
(तकनीकी बिड)
लिफाफा नं. 01

श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा के लिए निर्धारित षर्ते :–

1. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि रू 19600/– तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने से निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/– का नकद/ DD/UPI/BC ड़ीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखें ।
2. लिफाफा नं. 02 में केवल वित्तीय बिड जो कि तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
3. दोनों लिफाफों नं. (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना हैं।
4. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5. निविदादाता शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तो को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करनें की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर को होगा।
7. निर्धारित समय में आपूर्ति नही करने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (L.D.) की जाएगी ।
8. कार्यादेश के अनुसार श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी।
9. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से श्रमिको की आपूर्ति करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नही करनें पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
10. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 11.06.2025 को प्रात 10:30 बजे तक ड़ीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर से प्राप्त किए जाकर दिनांक 11.06.2025 को प्रातः 11:00 बजें तक स्वीकार किए जाएगें एवं जो क्रय समिति द्वारा दिनांक 11.06.2025 को प्रातः 11:30 बजें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएँगें। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नही किया जाएगा।
11. उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
12. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर श्रीमान ड़ीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर स्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
13. प्रस्तावित दर अंको में स्पष्ट लिखकर देना होगा। किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी। उक्त दरे 31.03.2026 तक मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से 3 माह तक के लिए बढाया जा सकता है।
14. सफल निविदादाता को रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध करना होगा तथा कार्य सम्पादन राशि 5 प्रतिशत (रू.) (धरोहर राशि रू. 2% को समायोजित करते हुए) अनुबंध पत्र लिखने से पहले डी.डी. के रूप में देना होगा।
15. फार्म पर ऑफिस/कृषि कार्यो के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता ठेकेदार/फर्म की होगी।
16. निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित हैं। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
17. निविदादाता/फर्म पिछलें 3 साल का टर्न ओवर ('प्रपत्र र') प्रमाण–पत्र सी.ए. से UDIN प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
18. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढें एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करनें का पूर्ण अधिकार होगा।
19. निविदा प्रपत्र कार्यालय में कार्य दिवस में रूपयें 500/– जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।
20. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस'आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
21. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
22. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरें हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।

23. कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरो को स्वीकार नही किया जावेगा।

24. न्यूनतम मजदूरी दर राजरथान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2020/पार्ट/15340 जयपुर, दिनांक 30.07.2021 के अनुसार लागू होगी।

25. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी।

26. यदि इस संस्था को अंशकालिक (पार्ट-टाइम) मानव संसाधनों की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का वोली दरतावेजों में रपष्ट उल्लेख करते हुए सम्वन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्वन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी का गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

27. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

28. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को उस माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गयी राशि के विवरण के बावत् इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

29. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा एवं भुगतान करने की प्रमाणित प्रति कॉलेज में भी देनी होगी अन्यथा देरी से भुगतान करनें की शिकायत पर कॉलेज कमेठी द्वारा निर्धारित पेनल्टी के हिसाब से ड़ीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर में शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

30. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

31. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों एवं शासन उपसचिव कृषि विभाग (ग्रुप-3) के पत्र क्रमांक पं. 3(3)कृषि-3/2021 जयपुर दिनांक 20.12.2021 के निर्देशानुसार श्रमिको के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि का अलग से विभागानुसार ECR (Electronic Challan Cum Return) से जमा करवाकर प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करनें के पश्चात ही आगामी माह का भुगतान किया जावेगा।

32. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा मजदूरी नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

33. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपनें समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा, जिसकी ECR आगामी माह के बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

34. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवानें की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा करायें गयें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

35. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

36. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगायें गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्टापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

37. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

38. फर्म/प्लेसमेंट ऐजेंसी की RTPPA 2012, RTPPR 2013, एवं GF&AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/शास्ति/पेनल्टी वसूली जावेगी।

39. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

40. चौकीदार/लेबर आदि अपनी उपरिथति प्रत्येक माह कार्य से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापित करायेगा। अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात् ही उस माह का मानदेय देय होगा।

41. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र धौलपुर होगा।

42. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

43. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस (श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5(6)/न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जावेगी एवं नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।

44. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड/जी.एस.टी. एवं बैंक खाते का केंसिल चैक होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।

45. निविदादाता/फर्म को बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा–पत्र (Form of Bid-Securing Declaration) श्रीमान् डीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर के नाम निविदा प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।

46. कार्यो का भुगतान संतोषजनक होने पर ही हर एक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते व अनुपस्थिति की अवस्था में दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

47. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक कार्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य मे लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही की जावेगी।

48. सफल निविदादाता को उपरोक्त शर्तो की सहमति दो गवाहों से सत्यापित करवाकर रु0 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखकर कार्यालय में देना होगा।

49. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम का ठेका है वही कार्य करेगी अन्य कोई नहीं। फर्म खुद श्रमिक लगाकर इन कार्यों को करवा सकती है जिसका भुगतान फर्म अपने स्वंय के मासिक भुगतान में से करेगी।

50. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र मे दी गई दरें 31 मार्च, 2026 तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।

51. महाविद्यालय में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा। यदि निविदाकर्ता समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाता है तो कार्य को देखते हुए महाविद्यालय अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा अतिरिक्त राशि का श्रमिकों को किया गया भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

52. किसी भी ब्लैक लिस्टेट फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं कर सकता।

53. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी को चैक/NEFT द्वारा किया जावेगा।

54. श्रमिकों को संबंधित कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

55. कार्यालय में श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाऐ जाएंगे व नियोजित करनें का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिको को हटाया जा सकता है।

56. मैं उपरोक्त शर्तो को पूर्ण करनें हेतु पाबन्द रहूंगा।

57. अर्द्धकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करनें वालें को पढ़ना व लिखना आना जरूरी है।

58. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गई दरों में यदि समानता होती है तों ड़ीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

59. अलग–अलग कार्यो के लिए अलग–अलग फर्मो के न्यूनतम दरें प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नही किया जायेगा।

60. उक्त शर्तो को अध्ययन कर स्वीकार करनें के रूप में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी हस्ताक्षर एवं मौहर कर दी है।

61. यदि कोई फर्म न्यूनतम दर पर प्रचलित मुद्रा में कुछ भी सर्विस चार्ज नही दर्शाती है तो ऐसी फर्म को इस निविदा हेतु अयोग्य (Nonresponsive) माना जायेगा।

62. इस टैंडर के लिए फर्म का औसत एक साल का टर्न ओवर रू. 15 लाख होना जरूरी है।

63. सफल तकनीकी निविदादाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो गणना उपरांत भुगतान योग्य राशि नही हो, प्रस्तावित करनें पर शून्य प्रतिफल मानते हुए RTPP Act की धारा (xviii) के अंतर्गत अमान्य होगी।

64. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है (कम से कम 50 श्रमिक प्रतिदिन ठेके पर उपलब्ध कराने का होना आवश्यक है)। यदि श्री कर्ण नेरन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत उक्त अधिनियम, 1970 का पंजीकरण नही है तो इस आशय का शपथ पत्र कार्यादेश मिलने पर पंजीकरण कराना होगा, प्रस्तुत कर सकते हैं।

i. निविदा का खोला जाना–

दिनांक 11.06.2025 को सुबह 11:00 बजे तक प्राप्ति तथा निविदा प्रपत्रों को दिनांक 11.06.2025 प्रातः 11:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

ii. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि–

सफल निविदादाता को कार्यादेश, राशि के 3 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर ड़ीन, कृषि महाविद्यालय, खेमरी फार्म, बसेड़ी, (धौलपुर) के नाम जो धौलपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति के रुप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेंगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रुप से/ आंशिक जब्त की जा सकेगी।

iii. उत्तरदायित्व–

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/ उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/ व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रुप से हो सकें।

iv. निविदा को स्वीकार/ अस्वीकार करने की शक्तियां–

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खेमरी फार्म, बसेड़ी, (धौलपुर) को होगें। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार कर या उनके पत्र व्यवहार का जबाब दिया जाए। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। पर्याप्त बिड सिक्यूरिटी, निविदा शुल्क के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत/ बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

v. अनुमानित राशि का आंकलन :–

प्रपत्र 'अ' में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 9.80 लाख है। केन्द्र द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

vi. दर संविदा अनुबंध की अवधि–

दर संविदा की अवधि एक वर्ष अथवा 31.03.2026 के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार बढाई जा सकती है।

vii. अनुबन्ध पत्र–

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारुप से अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रु 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तो का उल्लघंन करना है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा तथा उक्त कार्य अनुबंन्धकर्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपॉवर में किसी प्रकार की बढोतरी/ कमी है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाऍ बढाई/ घटाई जा सकती हैं।

viii. भुगतान की शर्तें–

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को जिस कार्यालय को श्रमिक उपलब्ध करवाये गये उसी कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करना होगा और वही कार्यालय प्रस्तुत बिलों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा। उक्त सेवाओं के बदले फार्म प्रबंधक/ प्रभारी द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रुप से निविदादाता/सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा।

ix. भुगतान की जिम्मेदारी–

निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यो के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

x. मध्यस्थः–

निविदा की किसी भी शर्ते/ शर्तो के संबंध में ड़ीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, (धौलपुर) का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

xi. कार्यादेश का निरस्तीकरण–

ड़ीन, कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, (धौलपुर) को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/ आंशिक रुप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/ विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

xii. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति–

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि यह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो पढ/ समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रुप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाऍ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/ राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती केन्द्र द्वारा की जाएगी।

xiii. निविदा की अन्य शर्तें–
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–2 के नियम 68 निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार लागू होंगी।

xiv. किसी राजकीय विभाग अथवा उपकम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

xv. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रुप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों को सुधार करेगी, अर्थात :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और मूल्य में सुधार किया जायेगा, में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी हे तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होंगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपयुक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

xvi. सत्यनिष्ठा संहिता– उपापन प्रकिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रकिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रकिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नही करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नही करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रकिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बांधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि बोली में कूट मूल्य वृद्धि का प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नही होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी भी जानकारी का उपापन प्रकिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय के दुरुपयोग नही करेगा।

(ड) उपापन प्रकिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रकिया को किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नही डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

xvii. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रुप से प्रभावित कर सकता हो,

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था के किसी कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उप तक सीमित नहीं है:–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाहय वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय अस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रुप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और अस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाहय किया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृति के पश्चात् नियोजन या उपाहर की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हों, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृतयों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपानप संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से, कुटुम्ब मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्है उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रकिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु दन तक सीमित नहीं हैं यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, काई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रुप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रकिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नही करता है जो बोली के रुप में अन्यथा भाग नही लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रकिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रुप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररुपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में न तो संबद्ध है और संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रुप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

xviii. उपापन प्रकिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगें।

1. अपील – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि काई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही से लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रुप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारुप में (प्रपत्र–'य') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पष्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेंगी, जिसकों तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नही, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसका समक्ष उप–धारा (1) के अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से 30 दिवस के अन्दर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोल लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थित, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के अन्दर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गय नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नही, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है यथा–सम्भव शीध्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपहील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तोवजों में उपदर्षित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारुप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाऐं।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रकिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का द्वारा करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अडचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्रारुप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारुप (प्रपत्र – य) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिषः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रुप में किया जावेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रकिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथस्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों को अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले ये संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

xix. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायलय क्षेत्र, धौलपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

मैंने/ हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/ हम उपरोक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/ रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट– निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी–

1. लिफाफा नं0 1 में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा–पत्र (Form of Bid-Securring Declaration) तथा DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्ते इत्यादि प्रस्तुत की जानी है। इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं0 2 नही खोला जावेगा।
2. लिफाफा नं0 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

हस्ताक्षर निविदादाता

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर–जयपुर)

बसेड़ी: धौलपुर (राज.) पिन– 328027

डॉ. जुनैद अख्तर
अधिष्ठाता

मों: 9414467446

Email.:- dean.coabaseri@sknau.ac.in

कमांक:कृमविबसेड़ी / संस्था. / 2025 / 257

दिनांक: 31-05-2025

वित्तीय निविदा प्रपत्र–2

विभिन्न श्रमिको की आपूर्ति के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र मे प्रस्तुत की जायेगी।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (रू.)	EPF दर प्रतिशत (13.00%)	ESI दर प्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (रू.) (5 से 8=9)
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन का प्रकार	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन (रू.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक	285/–					
2	अर्द्धकुशल श्रमिक	अर्द्धकुशल श्रमिक	297/–					
3	कुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	309/–					
4	उच्चकुशल श्रमिक	उच्चकुशल श्रमिक	359/–					

<u>अति आवश्यक शर्तें</u> :–

1. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा तथा वास्तविक भुगतान की पुष्टि श्रमिक के बैंक खाते के विवरण से भी किया जा सकेगी।
2. प्रतिमाह की गणना 26 दिन के आधार पर की जायेगी।
3. श्रमिकों को नियोजित करते समय उसके पी.एफ. खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
4. श्रमिक के ई.एस.आई में पंजीयन करवाकर प्रथम बिल के साथ संलग्न करना होगा।
5. पी.एफ. की जमा पुष्टि श्रमिक के पी.एफ विवरण से कभी भी की जा सकेगी, यदि पी.एफ. खाते में राशि कम जमा करवाना पाया गया तो कभी भी वसूली की जा सकेगी।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ.और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति मूल कार्मिकों की सूची जिनके खातों के अन्य राषि जमा की गई है, प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/ बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा निविदाकर्ता को बिल/ बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसका निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. सफल तकनीकी निविदादाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रुप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो गणना उपरांत भुगतान योग्य राशि नही हो, प्रस्तावित करनें पर शून्य प्रतिफल मानते हुए **RPPP Act** की धारा 2 **(xviii)** के अंतर्गत अमान्य होगी।
8. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

9. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1982 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था का प्रस्तुत की जायेगी।

10. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

11. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

12. केन्द्र की मांग अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु संवेदक द्वारा अपने फर्म के लेटरहैड पर उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की जानकारी मय आवश्यक श्रमिक पहचान पत्र–आधार कार्ड की फोटो प्रति केन्द्र पर प्रारम्भ में जमा करानी होगी।

नोटः– 1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव किया जायेगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वेजिज के उपर कुछ भी सर्विस चार्ज नही दर्शाते है, ऐसी फर्म को Unresponsive माना जायेगा।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता/ करते हैं तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैंने/हमनें निविदा की सभी शर्तो/ नियमों को भलीभांति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उनसे मैं/ हम पूर्णयता सहमत है।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

प्रपत्र–'स'

निविदादाताओ द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमने जिन कार्यालय की जहॉ कही भी श्रमिकों की आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी सरकारी विभाग/उपकम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नही किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नही हैं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Falls clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमने जिन श्रमिकों की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रष्नगत निविदा के कम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, नियम, बोर्ड अन्य स्वायतषाषी संस्था आदि को श्रमिकों की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करनें के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र–'र'

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रू)
2022–23	....
2023–24	....
2024–25	....
योग	

औसत टर्न ओवर प्रतिशत ....

(प्रमाणित)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं दिनांक

हस्ताक्षर एवं मोहर (सनदी लेखाकार)
UDIN सहित

प्रपत्र–'य'

FORM NO.1

(See Rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement] Act 2012

Appeal No. .... of ....

Before the .... (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i)Name of the appellant:
   (ii)Official address if any:
   (iii)Residential address:
2. Name and address of the respondent(s)
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposesto be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavist and documents enclosed with the appeal
6. Ground of appeal:...
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer:..
   ....

Appellant's signature:

Place:

Date